

11/2/23

पत्रावली लोक अदालत के विषय प्रस्तुत हुई।  
वकील प्राची उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली,  
पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेज व न्याय के सुसंगत  
प्रावधानों का अवलोकन किया जाकर बहस पर  
अंतिम किया गया। इसके उपरान्त प्रा.पत्र अंतर्गत  
धारा 136, गु. राज. अधि., 1956 साक्षित होने पर  
स्वीकार किया जाता है। यह निर्णय खुले न्यायालय  
में सुनाया गया। विस्तृत निर्णय पृथक से टंकित  
करवाया जाकर शा. क्रि. किया गया। इस हेतु तहसील-  
दार, वि. रत्नबाल को तहरीर जारी हो। पत्रावली  
पौसल शुमाद हो दर्ज भंडार से सभ होकर दार्जिल  
दफतर हो।

11/2/23  
उपखण्ड अधिकारी  
साथर लेख